संख्या-3/2025/598/44-1-2025

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/
निगमों के प्रशासनिक विभागों के
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 26 अगस्त, 2025**

विषयः- कम्पनी अधिनियम-2013 में उल्लिखित आवश्यक/बाध्यकारी प्राविधानों, अधिसूचनाओं एवं सम्बंधित रूल्स आदि को कम्पनी अधिनियम-1956 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकृत हुए सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/सहायक कम्पनियों में अनुपालन कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Corporate Affairs, Government of India) द्वारा कम्पनी अधिनियम-1956 को प्रतिस्थापित करते हुए कम्पनी अधिनियम 2013 लागू किया गया है। कम्पनी अधिनियम-1956 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकृत हुई प्रदेश के विभिन्न प्रशासकीय विभागों के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों/उनकी सहायक कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम-2013 के आवश्यक/बाध्य प्राविधानों, अधिसूचनाओं एवं सम्बंधित रूल्स आदि का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। कम्पनी अधिनियम-2013 की सभी धाराओं तथा सम्बन्धित रूल्स एवं अधिसूचनाओं की विस्तृत सूचना कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Corporate Affairs, Government of India) की वेबसाइट www.mca.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

2- कम्पनी अधिनियम-2013 के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर प्राविधान/धारायें यथा-(1) नई कम्पनी का गठन (Formation of New Company) सम्बंधी विषय (Section 3 से 12), (2) वार्षिक सामान्य सभा (Annual General Meeting) का आयोजन (Section 96), (3) बही खाता (Books of Account) तैयार किया जाना एवं अन्य रिपोर्ट्स (Section 128 से 134), (4) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) (Section 135), (5) आंतरिक लेखा (Internal Audit) (Section 138), (6) स्वतंत्र (Independent) एवं महिला (Women) निदेशकों की नियुक्ति (Section 149, 150) (7) निदेशक मण्डल की बैठकों, एजेण्डा प्रेषण किये जाने, कार्यवृत्त तैयार किये जाने, परिचालन से प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने इत्यादि (Section 173 से 175), (8) आडिट कमेटी (Audit committee) (Section 177), (9) कम्पनियों का विलय एवं समामेलन (Merger and Amalgamation) (Section 232), (10) कम्पनियों का समापन सम्बन्धी प्रक्रिया (Winding up) (Section 270 से 365) तथा (11) राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की वार्षिक रिपोर्ट के सम्बंध में (Section 395) इत्यादि है, जिनका अनुपालन कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों द्वारा सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भारत सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों हेतु कम्पनी अधिनियम-2013 के कतिपय उपबन्धो में छूट सम्बंधी अधिसूचना संख्या-3721 दिनांकः 05 जून,2015 भी जारी की गई है। सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों द्वारा इन छूट सम्बंधी प्रावधानों का भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

3- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा 149 तथा 150 के अन्तर्गत बाध्यकारी स्वतंत्र (Independent) एवं महिला (Women) निदेशकों की नियुक्ति/मनोनयन के सम्बंध में स्पष्ट किया जाता है कि यह कार्यवाही भी प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों द्वारा सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1462/(1)/44-1/91-1/1991 दिनांकः 25 नवम्बर, 1991 में दी गई पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से की जायेगी।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कम्पनी अधिनियम-2013 के अन्तर्गत कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत समस्त आवश्यक/बाध्यकारी प्राविधानों, अधिसूचनाओं, सम्बंधित रूल्स आदि का अनुपालन अपने विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/सहायक कम्पनियों में कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव।

संख्या: 3/2025/598(1)/44-1-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
2. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, 242 जवाहर भवन, लखनऊ।
3. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।